https://visitthelegallab.com/

न्यायालय, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सासाराम, रोहतास।

जमानत आवेदन सं0—418/2018
सासाराम नगर थाना काण्ड सं0—275/2023

जवाहर प्रसाद, उम्र 74 वर्ष लगभग, पे0 स्व0 भूती महतो,
साकिन मुहल्ला लश्करीगंज (कोठाटोली), थाना सासाराम नगर, जिला रोहतास

.... आवेदक/अभियुक्त/प्रार्थी

बनाम्

बिहार सरकार .... विपक्षी

आदेश

01.06.2023 आवेदक/अभियुक्त/प्रार्थी जवाहर प्रसाद जो कि सासाराम थाना कांड सं0 275/2023, धारा 147, 148, 149, 188, 153(A), 341, 342, 323, 337, 338, 353, 307, 427, 435, 436, 504, 505, 506 भा0दं0वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत हुआ तत्पश्चात् मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, सासाराम के आदेश दिनांकित 06.05.2023 के द्वारा अतिरिक्त धारा 302 भा0दं0वि0 भी प्राथमिकी में जोडा गया है, में दिनांक 28.04.2023 से काराधीन है, कि ओर से विद्वान अधिवक्ता सुष्मिता कुमारी के अधिकार पत्र के साथ दाखिल जमानत आवेदन पत्र जिसकी प्रति पूर्व में ही विद्वान अपर लोक अभियोजक को दी जा चुकी थी, को विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रचालित किया गया।

अभियोजन कथानक सूचक वसंत कुमार सिंह के लिखित आवेदन के आधार पर इस प्रकार है कि सूूचक वर्तमान में प्रखण्ड कल्याण पदाधिकारी, सासाराम के पद पर पदस्थापित है। रामनवमी के शुभ अवसर पर उसकी विधि व्यवस्था डियूटी थानाध्यक्ष नगर थाना के साथ लगी थी। दिनांक 31.03.2023 को समय 11.30 बजे दूरभाष पर सूचना मिली कि मुहल्ला चिकटोली, सासाराम में रामनवमी पश्चात् दो साम्प्रदाय के लोगों के बीच हरवे हथियार, लाठी, डंडा, भाला, ईटा एवं पत्थर से लैस होकर करीब 200 (दो सौ) लोग एक दूसरे के विरूद्ध धार्मिक भावना भडकाते हुये साम्प्रदायिक सदभाव को बिगाडते हुए एक दूसरे धर्म के विरूद्ध उतेजक बाते करते हुए ईट पत्थर एक दूसरे के उपर फेक रहे है। उक्त सूचना से वरीय पदाधिकारी को अवगत कराते हुए पु0नि0 सह थानाध्यक्ष सासाराम नगर एवं थाना के पदाधिकारी पु0अ0नि0 गिरीश कुमार, पु0अ0नि0 संजय कुमार रजक सशस्त्र बल के सि0 863 रोहित कुमार, सि0 1668 हंसराज, सि0 780 मो0 इन्तेजार आलम एवं महिला सि0 716 बिन्दु कुमारी के साथ सरकारी वाहन से समय 11.35 बजे अनुसंधान कीट एवं लैपटॉप के साथ प्रस्थान किया एवं थानाध्यक्ष द्वारा दिवा गश्ती पदाधिकारी को अविलम्ब घटनास्थल पर पहुॅचने हेतु तत्काल निर्देशित किया गया। समय 11.50 बजे उपरोक्त पदाधिकारी एवं बल के साथ मुहल्ला चिकटोली पहॅुचा तो सूचक ने देखा कि दो साम्प्रदायिक के करीब 200—250 लोगों के द्वारा दो गुट में हरवे हथियार, लाठी, डंडा एवं ईटा पत्थर लैस होकर एक दूसरे के विरूद्ध धार्मिक भावना भडकाते हुए साम्प्रदायिक सदभाव को बिगाडते हुए एक दूसरे धर्म के विरूद्ध उतेजक बाते करते हुए ईट पत्थर एक दूसरे के उपर फेक रहे है एवं आसपास के मकान के दरवाजों को क्षतिग्रस्त कर रहे है। जिसे उपरोक्त सशस्त्र बलों एवं पदाधिकारी के सहयोग से नियंत्रित करने का प्रयास किया परन्तु दोनों पक्षों के द्वारा सरकारी आदेश का उल्लघन करते हुए एक दूसरे के विरूद्ध धार्मिक टिप्पणी किया जाता रहा। तत्पश्चात् बलों के सहयोग से काफी प्रयास के बाद नियंत्रित किया गया एवं दोनों साम्प्रदाय के लोगों की पहचान खुले एवं गुप्त रूप से किया गया तो एक पक्ष से 1. मुस्ताक कुरैशी, उम्र 32 वर्ष, पिता गुलाम रसुल, मु0 चिकटोली, 2. मंजर हुसैन, उम्र 40 वर्ष, पिता कबीर हुसैन, मु0 काजिपुरा मुबारकगंज, वार्ड 33, 3. उस्मान खान, उम्र 18 वर्ष, पिता शहिद खां मु0 मुबारकगंज, 4. जसीम खां, उम्र 37 वर्ष, पिता सहन खां, मु0 मुबारकगंज काजिपुरा, 5. अकबर अली, उम्र 20 वर्ष, पिता शाहिद खां, मु0 काजिपुरा, मुबारकगंज, 6. मो0 शादिक अख्तर, उम्र 36 वर्ष, पिता कबीर हसन, मु0 मुबारकगंज काजिपुरा, 7. रफिक खान, 8. मेहन्दी खान, 9. अफरोज खान, 10. आफताब खान, चारों पिता रफिक खान, मु0

https://visitthelegallab.com/

खिडकीघाट, 11. तवरेज, पिता नमालूम, सा0 मुबारकगंज, सभी थाना सासाराम नगर, जिला रोहतास एवं द्वितीय पक्ष से 1. संजीव कुमार, उम्र 30 वर्ष, पिता प्रेमचन्द्र प्रसाद, सा0 मुबारकगंज, 2. धीरज कुमार, उम्र 20 वर्ष, पिता खेदु गिरी, सा0 खिडकीघाट 3. संजय कुमार, उम्र 37 वर्ष, पिता स्व0 मोती विश्वकर्मा, 4. आकाश शर्मा, उम्र 20 वर्ष, 5. प्रिन्स शर्मा, उम्र 19 वर्ष, दोनों पिता राम प्रवेश विश्वकर्मा, तीनों सा0 मुबारकगंज, 6. पंकज कुमार, उम्र 22 वर्ष, पिता सुरज चन्द्रवंशी, सा0 मुबारकगंज, 7. सुरज चन्द्रवंशी, उम्र 45 वर्ष, पिता ददन चन्द्रवंशी, सा0 मुबारकगंज, 8. मनोज चौधरी, उम्र 50 वर्ष, पे0 स्व0 राम अवतार चौधरी, सा0 पठानटोली वार्ड नं0 30, 9. रोहन चन्द्रवंशी, पिता गोपाल चन्द्रवंशी, 10. आर्यन, पिता ना मालूम, सा0 मुबारकगंज, सभी थाना सासाराम नगर, जिला रोहतास एवं 200–250 अज्ञात व्यक्ति जिसकी पहचान फोटोग्राफी एवं विडियोग्राफी से की जा सकेगी। लोगों द्वारा साम्प्रदायिक सौहाद्र बिगाडते हुए एक दूसरे का धर्म का अपमान करते हुए हरवे हथियार लाठी डंडा एवं ईट पत्थर से लैस होकर एक दूसरे के विरूद्ध अपराधिक बल का प्रयोग किया जा रहा था। स्थिति आगे और ना बिगडे एवं इसका प्रभाव शहर के अन्य भागों में ना पडे इस हेतु अतिरिक्त बल के लिए आसपास के थानों को भी सूचित किया गया एवं स्थिति से पुनः वरीय पदाधिकारी को अवगत कराया गया।

इसी बीच समय 15.00 बजे दूरभाष पर सूचना मिली कि मुहल्ला सहजलालपीर, सासाराम में दो साम्प्रदाय के लोगों के द्वारा लाठी डंडा हरवे हथियार एवं ईट पत्थर से लैस होकर एक दूसरे के धर्म भावना को ठेस पहुँचाने के नियत से नारेबाजी एवं अपमानजनक टिप्पणी करते हुये दो गुट में करीब 300–400 व्यक्ति एक दूसरे के उपर रोडे बाजी कर रहे है एवं दुकान तथा मकान को क्षतिग्रस्त कर रहे है। तत्काल उपरोक्त बल के साथ समय 15.10 बजे मुहल्ला चिकटोली से प्रस्थान समय 15.20 बजे मुहल्ला सहजलालपीर पहुँचा तो सूचक ने देखा कि दोनों साम्प्रदाय के लोगों के द्वारा दो गुट में एक दूसरे के विरूद्ध हरवे हथियार एवं लाठी डंडा ईट पत्थर लेकर हमला किया जा रहा है तथा धार्मिक टिप्पणी एवं साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाडने वाली नारेबाजी की जा रही है। जिसे बल द्वारा नियंत्रित करने का प्रयास किया गया। एक पक्ष के लोगों द्वारा द्वितीय पक्ष के एक मकान में आग लगा दी गयी। जिसे तत्काल पुलिस बल द्वारा अग्निशमन के सहयोग से बुझाया गया एवं उसमें फंसे लोगों को सुरक्षित निकाला गया। इसी बीच द्वितीय पक्ष द्वारा भी एक पक्ष के एक मकान में आगजनी किया गया। जिसे पुलिस बल एवं अग्निशमन द्वारा बुझाया गया एवं दोनों पक्षों को नियंत्रित किया गया। नियंत्रित करने के दौरान दोनों पक्षों द्वारा पुलिस बल पर रोडेबाजी एवं जानलेवा हमला किया गया जिसमें सि0 1301 सीमान्त कुमार मंडल का सर फट गया एवं गंभीर रूप से जख्मी हो गये। जिसे ईलाज हेतु सदर अस्पताल सासाराम भेजा गया। साम्प्रदायिक उपद्रव में शामिल दोनों पक्षों के लोगों की पहचान गुप्त रूप से किया गया तो एक पक्ष में 1. अनवर आलम उम्र 23 वर्ष, पे0 मो0 एकराम, 2. मो0 जहागीर असरफ, उम्र 37 वर्ष, पे0 खैराती मंसूरी, 3. रिजवी मंसूरी, उम्र 20 वर्ष, पे0 खैराती मंसूरी, 4. सोहेल अख्तर, उम्र 40 वर्ष, पे0 खैराती मंसूरी सभी मु0 शफुल्लागंज, थाना सासाराम नगर, जिला रोहतास, 5. फिरोज कुरैशी, उम्र 32 वर्ष, पे0 शकील कुरैशी, 6. इरफान कुरैशी, उम्र 28 वर्ष, पे0 शदीक कुरैशी, 7. फिरोज खान उर्फ मुन्ना मिस्त्री, उम्र 45 वर्ष, पे0 स्व0 जुम्मन खान, 8. बब्लू कुरैशी, उम्र 25 वर्ष, पे0 फिरोज खान उर्फ मुन्ना मिस्त्री, 9. रिजवान खान, उम्र 26 वर्ष, पे0 फरहाज खान, 10. जुबैर कुरैशी, उम्र 31 वर्ष, पे0 अयुब कुरैशी, 11. रिजवान कुरैशी, उम्र 30 वर्ष, पे0 नासीर कुरैशी, 12. जमाल कुरैशी, उम्र 30 वर्ष, पे0 नमालूम, 13. साह कुरैशी, उम्र 28 वर्ष, पे0 नमालूम, सभी साकिन शाहजलालपीर, थाना सासाराम नगर, जिला रोहतास एवं द्वितीय पक्ष 1. हिमांशु राज, उम्र 21 वर्ष, पे0 मिथलेश कुमार मिश्रा, मु0 शेरगंज, 2. अश्विनी कुमार, उम्र 22 वर्ष, 3. आदित्य कुमार, उम्र 20 वर्ष, दोनों पे0 राजेश कुमार, मु0 सुलेमानगंज सराय रोड, मजिस्द के पास, वार्ड नं0 36, 4. श्याम किशोर दूबे, पे0 नमालूम, 5. अजय मिश्रा, पे0 नमालूम, 6. नन्हे ,पे0 नमालूम, साकिन शेरगंज, 7. मुन्ना, पे0 नमालूम, साकिन मोरसराय, सभी थाना सासाराम नगर, जिला रोहतास एवं 300–400 अज्ञात व्यक्ति जिसकी पहचान फोटोग्राफी एवं विडियोग्राफी से की जा सकेगी जो एक दूसरे के विरूद्ध धार्मिक भावना भडकाते हुये साम्प्रदायिक सौहार्द

https://visitthelegallab.com/

बिगाड रहे थे एवं एक पक्ष दूसरे पक्ष पर फायरिंग कर रहे थे। आसपास के घरों में तोडफोड तथा दो घरों में आगजनी कर रहे थे। सूचक का दावा है एक पक्ष एवं द्वितीय पक्ष के लोगों द्वारा एक दूसरे के धार्मिक भावना को आहत करते हुए एक दूसरे पर जानलेवा हमला किया गया एवं सरकारी आदेश की अवहेलना करते हुए विधि व्यवस्था में व्यवधान डालते हुए पुलिस बल एवं दण्डाधिकारी पर जानलेवा हमला कर कानून को अपने हाथों में लिया गया जो भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत संज्ञेय अपराध है और इसी प्रार्थना के साथ निवेदन किया कि उपरोक्त लोगों के विरूद्ध कानूनी कारवाई करने की कृपा की जाय।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि अभियुक्त द्वारा किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं किया गया है और वर्तमान मामले में जानबूझ करके उसे झूठा फंसाकर जबरदस्ती परेशान किया जा रहा है। अभियुक्त संभ्रात परिवार का एक सदस्य है और सामाज में उसकी एक प्रतिष्ठा है और पुलिस के द्वारा उसकी प्रतिष्ठा को क्षति पहुँचायी जा रही है। अभियुक्त निर्दोष व्यक्ति है और वह कानून का पालन करने वाला नागरिक है और उसके विरूद्ध कोई अपराधिक वाद लंबित नहीं है और जो भी आठ अपराधिक इतिहास थे उन सभी में उसकी रिहाई हो चुकी है, इसी आधार पर जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करके जमानत देने की प्रार्थना की गयी है और यह भी कहा गया कि वे न्यायालय द्वारा जो भी शर्ते लगायी जायेगी उसको मानने के लिए वे तैयार है।

अभियोजन की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री धन कुमार तिवारी द्वारा जमानत आवेदन पत्र का विरोध कर जमानत आवेदन पत्र को खारिज करने की प्रार्थना की गयी है। अभियोजन पक्ष के द्वारा यह भी कहा गया कि वर्तमान मामले में उपद्रवियों द्वारा अनैतिक कार्य करते हुये धार्मिक भावनाओं को भडकाकर सामाजिक सौहार्द बिगाडने का दुष्कृत्य किया गया तथा जगह–जगह पर तरह–तरह के हथियारों जैसे लाठी, डंडा, तलवार, हरवे हथियार एवं आग्नेयास्त्र के साथ–साथ ईट पत्थरों का प्रयोग करके जनमानस को क्षति पहुँचायी गयी है और जगह–जगह आगजनी की गयी है तथा घरों को जला दिया गया है जिसके कारण शहर का महौल खराब कर दिया गया और तो और एक व्यक्ति की गोली लगने से मृत्यु भी हो चुकी है और वर्तमान मामले में अनुसंधान जारी है तथा उपद्रवियों की पहचान सी0सी0टी0भी0 फुटेज, कॉल डिटेल के साथ–साथ गुप्तचरों एवं सामाज के लोगों के सहयोग से की जा रही है और प्रार्थी/अभियुक्त उन्हीं उपद्रवियों में से एक है जिसके द्वारा पूरी घटना कारित करने में सक्रिय भूमिका रही है। अतः जमानत प्रार्थना पत्र पोषनीय नहीं है और निरस्त किये जाने योग्य है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण के तर्को को सुनने के पश्चात् मेरे द्वारा अभिलेख एवं मूल कांड दैनिकी के कंडिका 01 से 519 तक का अवलोकन किया। कांड दैनिकी के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादी वसंत कुमार सिंह, प्रखण्ड कल्याण पदाधिकारी, सासाराम ने अपने पुनः बयान में तथा साक्षीगण संजय कुमार सिन्हा, पु0नि0 सह थानाध्यक्ष, सासाराम नगर थाना, संजय कुमार रजक, पु0अ0नि0, सासाराम नगर थाना एवं गिरीश कुमार, पु0अ0नि0, सासाराम नगर थाना, रोहतास ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 161 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत घटना का पूर्ण समर्थन किया है जो कि कांड दैनिकी के कंडिका 04, 26, 27 एवं 28 में वर्णित है। कांड दैनिकी के कंडिका 07 घ टनास्थल जो सासाराम नगर थाना अन्तर्गत मुहल्ला चिकटोली स्थित मजिस्द से सटे ईमाम चौक के पास स्थित है, जो कि इस कांड का प्रथम घटनास्थल है, से संबंधित है। कांड दैनिकी की कंडिका 84 के अवलोकन से स्पष्ट है कि पुलिस अधीक्षक, रोहतास के कार्यालय ज्ञापांक 3224/आ0शा0, दिनांकित 06.04.2023 के द्वारा वर्तमान मामले का अनुसंधान कार्य भार श्री सुबोध कुमार, पुलिस निरीक्षक, नासरीगंज अंचल को सौपा गया जिसके पश्चात् उपरोक्त सुबोध कुमार ने अनुसंधान के क्रम में इस कांड के वादी वसंत कुमार सिंह से पूछताछ की जिस पूछताछ में वादी ने अपने प्रथम सूचना रिपोर्ट के तथ्यों को दुहराया है तथा यह स्पष्ट रूप से कहा गया कि वे वर्ष 2021 से इस प्रखण्ड में कल्याण पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित है इसी कारण वे ज्यादातर स्थानीय लोगों को पहचानते है, जो कि कांड दैनिकी के कंडिका 88 में वर्णित है।

https://visitthelegallab.com/

अनुसंधानकर्त्ता सुबोध कुमार द्वारा संजय कुमार सिन्हा, पु0नि0 सह थानाध्यक्ष सासाराम नगर से भी पूछताछ की जिन्होनें अपने पूर्व बयान को दुहराया तथा इस साक्षी ने भी यह स्पष्ट रूप से कहा कि वे एक वर्ष से ज्यादा समय से सासाराम नगर थानाध्यक्ष के पद पर कार्यरत है और वे अकसर क्षेत्र में भ्रमणशील रहते है और समस्याओं को सुनते है इसलिए कुछ स्थानियों लोगों को वे सीधे पहचानते है तथा उपरोक्त मामले में अन्य लोगों की पहचान सूत्रों के माध्यम से किये है, जो कि कांड दैनिकी के कंडिका 89 में वर्णित है। अनुसंधानकर्त्ता द्वारा उसी क्रम में घटनास्थल चिकटोली, सासाराम का नजरी नक्शा बनाया गया है जो कि कांड दैनिकी के पृष्ठ सं0 38 में है।

उपरोक्त कांड का द्वितीय घटनास्थल सासाराम नगर थाना के अन्तर्गत स्थित मुहल्ला सफुल्लागंज स्थित फुलमती कुंवर, पति स्व0 जमुना महतो का उतर रूख का एक मंजिला पक्का मकान है जिसे कि कांड दैनिकी की कंडिका 95 में दर्शाया गया है और इस द्वितीय घटनास्थल का नक्शा नजरी अनुसंधानकर्त्ता द्वारा कांड दैनिकी के पृष्ठ सं0 40 में वर्णित किया गया है, साथ ही उपरोक्त घटनास्थल की फोटोग्राफ भी दर्शायी गयी है। अनुसंधानकर्त्ता द्वारा उपरोक्त घटना की पीडिता एवं साक्षी फुलमती कुंवर जिसकी झोपडी में उपद्रवियों द्वारा आग लगा दी गयी थी, का बयान कांड दैनिकी के कंडिका 96 में उल्लेखित किया है जिसमें उपरोक्त साक्षी फुलमती कुंवर ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उपद्रवियों द्वारा उनकी झोपडी में आग लगाने से उनका घ ार धुँआ धुँआ हो गया और दम घुटने लगा और ऐसा लगा कि अब प्राण निकलने वाला है और जब पुलिस आयी तो उन्हें घर से बाहर निकाला जा सका। इस साक्षी यह भी स्पष्ट रूप से कहा है कि जब वह बाहर निकली तो देखा कि 100—150 की संख्या में उपद्रवी हाथ में लाठी डंडा लिये ईट पत्थर फेंक रहे है और कुछ लोग फायरिंग भी कर रहे है और इस साक्षी द्वारा कुल सात लोगों की पहचान नाम मय वल्दियत की गयी है।

इस कांड का तृतीय घटनास्थल मो0 उस्मान कुरैशी, पे0 मौला बक्स कुरैशी, साकिन शाहजलालपीर का उत्तर रूख का एक मंजिला अवासीय मकान है जो कि द्वितीय घटनास्थल से लगभग पचास मीटर की दूरी पर स्थित है। इस घटनास्थल की फोटो तथा नक्शा नजरी अनुसंधानकर्त्ता द्वारा कांड दैनिकी की कंडिका 97 एवं पृष्ठ सं0 42 में उल्लेखित है, जिसे की उपद्रवियों द्वारा हमला कर तोडफोड एवं आगजनी किये जाने की बात कही गयी है। अनुसंधानकर्त्ता द्वारा उपरोक्त तृतीय घ टनास्थल के संदर्भ में उपरोक्त मकान में रहने वाली जोहरा खातून, पे0 उस्मान कुरैशी का बयान लिया गया है, जिसे की कांड दैनिकी की कंडिका 98 में वर्णित किया गया है जिसमें उपरोक्त साक्षी जोहरा खातून द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया है कि एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय को अपशब्दों का प्रयोग करते हुये लूटपाट की गयी है और घरों में आग लगा दी गयी और उसी के क्रम में उसके घर में भी जो बाहर सामान रखा था उसमें भी आग लगा दी गयी। यद्यपि इस साक्षी द्वारा किसी उपद्रवी का नाम नहीं बताया गया है परंतु उनकी सख्या 100—150 स्पष्ट रूप से कही गयी है।

इस कांड का चौथा घटनास्थल मो0 शाहजाद उर्फ गोप कुरैशी, पे0 मो0 ताहीर कुरैशी, साकिन शाहजलालपीर खेत, थाना दरिगांव ओ0पी0, जिला रोहतास का पश्चिम रूख का एक मंजिला अवासीय मकान है जिसकी फोटोग्राफ एवं नक्शा नजरी कांड दैनिकी की कंडिका 99 एवं पृष्ठ सं0 44 में वर्णित किया गया है। जहां पर अनुसंधानकर्त्ता द्वारा बहुत सारे जले हुये कपडे का अवशेष, जला हुआ चौकी, जला हुआ अनाज का अवशेष, जला हुआ आलमीरा के साथ साथ क्षतिग्रस्त अवस्था में नया फ्रीज एवं वाशिंग मशीन पाया गया है जिसके संदर्भ में यह कहा गया है कि उपद्रवियों के द्वारा घर की ग्रील तोडकर घर में प्रवेश किया गया एवं घर में लूटपाट की गयी और बाद में आग लगा दी गयी। अनुसंधानकर्त्ता द्वारा उपरोक्त चौथे घटनास्थल पर रहने वाली यास्मिन खातून, पति शहजाद कुरैशी का बयान दर्ज किया गया है जो कि कांड दैनिकी के कंडिका 100 में वर्णित है जिसमें साक्षी यास्मिन खातून ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जुमा के दिन लगभग 12.30 बजे 150—200 की संख्या में दूसरे समुदाय के उपद्रवी अपने धर्म का नारा लगाते हुये और दूसरे समुदाय के लिए अपशब्दों का प्रयोग करते हुये ईट पत्थर चलाकर घर में घुसे और लूटपाट किये तथा घर में रखा

https://visitthelegallab.com/

हुआ पचास हजार रूपया नकद, कुछ जेवर एवं दो बकरी खोलकर ले गये एवं जाते जाते पेट्रोल छिडकर आग लगा दी तथा घर में रखी नयी फ्रिज तथा वाशिंग मशीन को तोड दी। इस साक्षी द्वारा जो उपद्रवी उसके घर में प्रवेश किये थे उनमें से 12 लोगों का नाम मय वल्दियत बतालाया है और पहचान की है।

इस कांड का पॉचवा घटनास्थल शमसाद बेगम, पति स्व0 कुरैश खान, साकिन शाहजलालपीर, थाना सासाराम नगर, जिला रोहतास का एक मंजिला उतर रूख का घर है जो कि चौथे घटनास्थल से लगभग 20–25 मीटर पूरब दिशा में स्थित है। उपद्रवियों के द्वारा इस घटनास्थल पर घर में प्रवेश करके लूटपाट करने के पश्चात् घर के सामानों में आग लगा दी गयी है और अनुसंधानकर्त्ता ने अनुसंधान के दौरान घटनास्थल पर जले हुये साईकिल, सिलाई मशीन एवं बक्सा इत्यादि का अवशेष पाया है और इस घटनास्थल का विस्तृत वर्णन कांड दैनिकी की कंडिका 101 एवं पृष्ठ सं0 48 में स्पष्ट रूप से किया है। अनुसंधानकर्त्ता द्वारा उपरोक्त पांचवे घटनास्थल वाले मकान में रहने वाले किरायेदार मुस्तफा, पे0 बकरीदू कुरैशी का बयान कांड दैनिकी के कंडिका 102 में दर्ज किया है जिसमें साक्षी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि दिनांक 31.03.2023 को समय 12.30 बजे जब वे जुमे के नामाज पढने के लिए शाहजलालपीर गये हुये थे और घर में सिर्फ महिलायें थी उसी समय तीन सौ की संख्या में उपद्रवी एक समुदाय विशेष का नारा लगाते हुये तथा दूसरे समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए अपशब्दों का प्रयोग करते हुये घर में घुस गये तथा घर में रखे सामान में आग लगा दिये जिसे पुलिस बल फायर बिग्रेड की सहायता से बुझा पाया। उपद्रवियों द्वारा फायर भी किया गया और जब यह साक्षी नामाज पढकर घर लौटा तो देखा कि घर का सामान जलकर बर्बाद हो गया है जिसमें साईकिल, सिलाई मशीन एवं बक्सा इत्यादि है।

कांड दैनिकी के कंडिका 108 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनुसंधानकर्त्ता को पुलिस उपमहानिरीक्षक के कार्यालय द्वारा ज्ञापांक 1178/अप0 शा0, दिनांक 10.04.2023 जो पुलिस अधीक्षक रोहतास को संबोधित किया गया है, के माध्यम से मामले में निर्देश प्राप्त हुये है जिसके आधार पर अनुसंधान के क्रम में घटनास्थलों के आसपास सी0सी0टी0भी0 फुटेज एवं डी0भी0आर0 नियमानुसार जब्त करने के आदेश प्राप्त है जिसके अनुपालन में अनुसंधानकर्त्ता द्वारा विभिन्न घटनास्थलों एवं उसके आसपास जो भी मोबाईल नम्बर घटना की तिथि एवं समय के आसपास सक्रिय रहे है, के संदर्भ में कार्यवाही किये जाने से संबंधित तथ्य में कांड दैनिकी के कंडिका 110 से 118 में वर्णित है। कांड दैनिकी के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अनुसंधानकर्त्ता द्वारा अनुसंधान के क्रम में एकत्रित किये गये साक्ष्यों के आधार पर कांड के अभियुक्तों को विधिवत गिरफ्तार किया गया और अभियुक्तों के द्वारा अपने इकबालिया बयानों में घटना में अपनी संलिप्ता के साथ साथ अपने अन्य साथियों के संदर्भ में नाम मय वल्दियत स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है जिसका वर्णन कांड दैनिकी के कंडिका सं0 150, 153, 161, 162, 193, 200, 201 एवं 202 में किया गया है जो कि अभियुक्तों श्याम किशोर दूबे, मो0 इरशाद खान उर्फ बुधन खान, गोलू दूबे, अरूण कास्यकार, सज्जन कुमार, शिवनाथ चौधरी, विकास कुमार उर्फ सोनू सिन्हा एवं रौबिन प्रसाद केशरी उर्फ रौबिन केशरी के इकबालिया बयान है।

कांड दैनिकी की कंडिका 207, 212, 216, 220, 223 एवं 224 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उपद्रवियों द्वारा कारित की गयी घटना में एक व्यक्ति राजा चौधरी, पे0 चितरंजन चौधरी की मृत्यु उपद्रव के दौरान उपद्रवियों की गोली उसके सिर में लगने के कारण हो गयी है जिसके संदर्भ में कांड दैनिकी में पृष्ठ सं0 96 से 98 (मृतक राजा चौधरी के ईलाज से संबंधित प्रतिवेदन), पृष्ठ सं0 99 मृतक के परिवार को दिये गये अनुग्रह अनुदान, पृष्ठ सं0 100 से 116 जो कि मृतक के पंचनामा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं उसके शरीर से प्राप्त मेटैलिक बुलेट से संबंधित है और यहां यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट (पृष्ठ सं0 111) में मृत्यु का कारण आग्नेयशस्त्र द्वारा दिमाग में लगी जख्म एवं उसके शरीर से प्राप्त मेटैलिक बुलेट (पृष्ठ सं0 116) को अनुसंधानकर्त्ता द्वारा कांड दैनिकी में संलग्न किया गया। कांड दैनिकी की कंडिका 239 जो कि घटनास्थल के संदर्भ में उपद्रवियों द्वारा किये गये उपद्रव का

https://visitthelegallab.com/

सोशल मीडिया पर वायरल विडियों फुटेज से संबंधित है जिसको देखकर यह पता चलता है कि उपद्रवियों द्वारा किस प्रकार से पिस्टल, ईट पत्थर, तलवार, लाठी, डंडा, ईटा आदि लेकर सामाजिक सौहार्द बिगाडने का दुष्कृत्य किया गया है। कांड दैनिकी के कंडिका 242 से 251 विभिन्न गिरफ्तार किये गये अभियुक्तों के मोबाईल का सी0डी0आर0 से संबंधित तथ्य है जिससे पता चलता है कि किस प्रकार उपद्रवियों द्वारा आपस में एक दूसरे से कई कई बार वार्तालाप करके विचारों का आदान प्रदान करके सामाजिक सौहार्द बिगाडा गया है और उन्हीं में से एक मोबाईल नम्बर संतोष प्रसाद का है जो कि 9431605115 है तथा संबंधित लोगों के मोबाईल के टावर लोकेशन से यह स्पष्ट है कि उनके द्वारा एक जगह एकत्रित होकर योजनाबद्ध तरीके से घटना को अंजाम दिया गया है। अनुसंधानकर्त्ता द्वारा घटना के संदर्भ में कई गवाहों का बयान कांड दैनिकी के कंडिका सं0 252 से 259 तक में दर्ज किया गया है और सभी गवाहों ने उपद्रवियों द्वारा किस प्रकार सामाजिक सौहार्द बिगाडने के लिए दुष्कृत्य किया गया है जिसका उल्लेख कांड की प्रथम सूचना रिपोर्ट में है, का समर्थन किया है। कांड दैनिकी के कंडिका 282, 283, 284, 287, 288 के अवलोकन से स्पष्ट है कि गवाहों ने उपद्रवियों द्वारा किये गये दुष्कृत्य को दुहराया है यहां यह बात महत्वपूर्ण है कि गवाह पु0अ0नि0 सुशांत कुमार मंडल द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया कि जब दो समुदायों के बीच में हल्की झडप दिनांक 29.03.2023 को हुई थी तो प्रशासनिक हस्तक्षेप के बाद दोनों पक्षों को अलग कर दिया गया था, वहां पर पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद का तेवर दूसरे समुदाय के लोगों के विरूद्ध आक्रामक एवं गुस्से में था और इसी तरीके का बयान गवाह दीपक कुमार सिंह ने कांड दैनिकी के कंडिका 289 में कहा है। कांड दैनिकी के कंडिका 299 के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि सीमांत कुमार मंडल, पे0 महावीर मंडल जो अनुमण्डल पदाधिकारी, सासाराम श्री मनोज कुमार के आवास पर गार्ड के रूप में प्रतिनियुक्त है और सूचना प्राप्त होने पर अपने अधिकारी के साथ घटनास्थल पर गया था जहां उसे एक बडा सा पत्थर सिर पर आकर लगा जिससे उसका सर फट गया और खून बहने लगा जिससे वह बेहोश हो गया और जिसका ईलाज पी0एम0सी0एच0 पटना में चल रहा है। कांड दैनिकी के पृष्ठ सं0 147 जो हिमांशु राज, पे0 मिथलेश राज जिसका मोबाईल न0 7004365337 है, से पूछताछ से संबंधित है जिसमें उसने कहा है कि उपद्रवियों द्वारा उसका मोबाईल छीना गया था। कांड दैनिकी के कंडिक 356 अनुसंधान के क्रम में घटना में लिप्त पाये गये अभियुक्त पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद के आठ आपराधिक इतिहासों से संबंधित है। कांड दैनिकी की कंडिका 366 जो गवाह मो0 शहजाद कुरैशी के बयान से संबंधित है, ने स्पष्ट रूप से कहा है कि किस प्रकार उपद्रवियों द्वारा उसके घर पर एक सम्प्रदाय विशेष का धार्मिक झंडा लहराकर जाते जाते घर में पेट्रोल डालकर आग लगा दी गयी है। कांड दैनिकी के पृष्ठ सं0 170, 171, 172 एवं 173 जवाहर प्रसाद के द्वारा की गयी पूछताछ एवं उसके उतर से संबंधित है जिसमें उन्होनें ज्यादतर प्रश्नों के संदर्भ में अनभिज्ञता जाहिर की है। कांड दैनिकी के पृष्ठ सं0 174 जो कि मो0 शहनवाज आलम से की गयी पूछताछ से संबंधित है, जिसमें यह उल्लेखित है कि जब स्पष्ट रूप से उसे प्रश्न किया गया कि दिनांक 31.03.2023 को पिस्टल चलाते हुये विडियों पाया गया है, पिस्टल किस पर ताने हुये थे जिसके जबाव में उसने कहा है कि पिस्टल अपने बचाव में भीड पर ताने हुये थे और जब यह पूछा गया कि पिस्टल कब और कहां से पायी तो उसने जबाव दिया कि 06–07 साल पहले रास्ते में गिरा हुआ था वहीं से पाये थे और जब उससे लाईसेंस के बारे में पूछा गया तो उसने कहां कि उसके पास कोई लाईसेंस नहीं है। कांड दैनिकी के पृष्ठ सं0 175 जो कि चन्दन चौधरी से की गयी पूछताछ से संबंधित है जिसने 31.03.2023 के संदर्भ में पूछे जाने पर कि आप कहा थे तो उसने उतर दिया है कि बुढन मोड बगीचा में था, हल्ला सुना तो घर आये तो देखे कि दो पक्षों के बीच पत्थरबाजी हो रही है और इस चन्दन चौधरी ने आगे कहा है कि वहां संतोष (विधायक जवाहर प्रसाद का लडका भी था) और इस व्यक्ति ने आगे यह भी कहा कि 04–05 घरों में आग लगी थी। कांड दैनिकी के पृष्ठ सं0 176 एवं 177 जो कि आफताब आलम एवं मो0 सलाउद्दीन से की गयी पूछताछ से संबंधित है जिसमें उनलोगों ने स्वीकार किया है कि पत्थरबाजी में पत्थर वे भी चला रहे थे और साथ ही साथ अपने दोष को स्वीकार किया है। कांड दैनिकी के पृष्ठ सं0 191 जो कि कौशल

https://visitthelegallab.com/

कुमार उर्फ कौशल किशोर से की गयी पूछताछ से संबंधित है जिसमें उन्होनें यह तो स्वीकार किया है कि घटना कारित की गयी है परंतु अपनी संलिप्पता से इंकार किया गया है। कांड दैनिकी के कंडिका 486, 487, 488, 490, 493, 494, 495, 497 एवं 500 का संबंध अनुसंधान के क्रम में कांड की सत्यता एवं साक्ष्य एकत्रित करने के लिए अनुसंधानकर्त्ता द्वारा किये गये प्रयास से संबंधित है। कांड दैनिकी के कंडिका 506 जो कि पुलिस अधीक्षक, रोहतास के पर्यवेक्षण टिप्पणी से संबंधित है, ने स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि उपद्रवियों द्वारा सामाजिक सौहार्द बिगाडने के लिए पूर्व निर्धारित योजना बनाकर घटना को अंजाम दिया गया है तथा कांड से संबंधित प्राथमिकी अभियुक्तों जिनकी संख्या 41 है, में से 05 के विरूद्ध जॉच जारी रखते हुये शेष 36 नामजद अभियुक्तों के साथ साथ 111 अप्राथमिकी अभियुक्तों के विरूद्ध प्रथमदृष्टया घटना को सत्य पाया है साथ ही अन्य उपद्रवियों की पहचान हेतु आवश्यक सी0सी0टी0भी0 फुटेज एवं सी0डी0आर0 प्राप्त करके उनका विधिवत मूल्यांकन करने के लिए निर्देश पारित किये गये। कांड दैनिकी के कंडिका 519 के अवलोकन से स्पष्ट है कि मामले में अनुसंधान जारी है।

इस प्रकार अनुसंधान के क्रम में एकत्रित किये गये उपरोक्त वर्णित साक्ष्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि उपद्रवियों द्वारा जानबूझकर दूसरे सम्प्रदाय के विरूद्ध आपत्तिजनक एवं अपशब्दों का प्रयोग करके हरवे हथियार एवं आग्नेयशस्त्र के साथ अमानवीयकृत्य करके सामाजिक उन्माद फैलाकर सामाजिक सौहार्द बिगाडने का विधि विरूद्ध कृत्य किया गया है जिसमें एक निरपराध युवक की हत्या कर दी गयी है। एक पुलिसकर्मी को अपने कर्तव्यों के निर्वहन करते समय सिर पर चोट करके उसकी हत्या का प्रयास किया गया है एवं सरकारी दायित्वों एवं कर्तव्य पालन करने में प्रशासनिक अधिकारियों के कार्यो में बाधा कारित की गयी है एवं आम जनमानस के जीवन को खतरे में डाला गया है साथ ही उसके संपत्ति को लूटकर उसे जलाकर नष्ट किया गया जो कि एक अक्षम्य अपराध है और उपरोक्त साक्ष्यों से स्पष्ट है कि प्रार्थी भी उन्हीं उपद्रवियों में से एक चिन्हित अभियुक्त है। उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर प्रथमदृष्ट्या प्रार्थी के विरूद्ध मामला बनता है और मामले में अनुसंधान जारी है ऐसी स्थिति में प्रार्थी का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। तदानुसार उपरोक्त प्रार्थी का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

(लेखापित)

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
सासाराम, रोहतास।